राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5947

भोपाल, दिनांक 10/09/20

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
3. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी 1

मध्यप्रदेश

विषय– **आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु state-of-the-art delivery centres विकसित करने के संबंध में**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य के परिणाम सूचकांकों में से एक सूचकांक जिले के समस्त डिलेवरी पाईंट के रूप में स्वास्थ्य संस्थाओं को state-of-the-art delivery centers के रूप में विकसित किया जाना है। वर्तमान में जिले में स्वास्थ्य संस्थाऐं डिलेवरी पाईंट के रूप में चिन्हित है। इन संस्थाओं में सेवा प्रदायगी में सुधार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को समय पर उचित प्रबंधन प्रोटोकॉल अनुसार कर गुणवत्तापूर्ण सेवाऐं प्रदान की जाना है।

तत्संबंध में सीमॉक, बीमॉक एवं लेवल 1 डिलेवरी पाईंट में निम्नलिखित सेवाऐं 24X7 सुनिश्चित की जाए–

1. लेवल 1– प्रसव पूर्व जांचें, सामान्य प्रसव एवं रेफरल तथा आवश्यक नवजात शिशु सेवाऐं
2. लेवल 2 बीमॉक– प्रसव पूर्व जांचें, सामान्य प्रसव, जटिलताओं का मेडिकल प्रबंधन एवं रेफरल, सुरक्षित गर्भपात सेवाऐं तथा आवश्यक एवं आकस्मिक नवजात शिशु सेवाऐं
3. लेवल 3 सीमॉक– सामान्य प्रसव, सिजेरियन प्रसव, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सुरक्षित गर्भपात सेवाऐं तथा आकस्मिक नवजात शिशु सेवाऐं

उपरोक्त डिलेवरी पाईंटस को सुदृढ करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. **वर्तमान में चिन्हित डिलेवरी पाईंटस का उन्नयन –**
   - **अधोसंरचना–**
     - चिन्हित डिलेवरी पाईंटस की सीमॉक/बीमॉक एवं लेवल 1 तथा प्रसव संख्या के आधार पर अधोसंरचना की स्थिति **संलग्न प्रपत्र–1** अनुसार आंकलन करें। जिन संस्थाओं में नवीन भवन/लेबर रूम/ओटी/वार्ड की आवश्यकता प्रतीत होती है उनका जिले में पदस्थ अभियंता के साथ आंकलन कर वित्तीय आंकलन के साथ समग्र प्रस्ताव प्रेषित करें।
       समय सीमा– 30 सितम्बर 2020
     - प्रत्येक डिलेवरी पाईंट हेतु लेवल वार मानक निर्धारित कर समस्त डिलेवरी पाईंट को एकरूपता दी जाए जिस हेतु अनटाईड फण्ड का उपयोग किया जाए। **(संलग्न प्रपत्र–2)**
       समय सीमा – 31 अक्टूबर 2020
     - माइनर सिविल वर्क– संस्था में लघु सिविल कार्य जैसे पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज की समस्या, बरियल पिट बनवाना, बिजली के तार, पुराने सामान का डिस्पोज ऑफ आदि की व्यवस्था, जिस हेतु अनटाईड फण्ड का उपयोग किया जाए।
       समय सीमा– 31 अक्टूबर 2020

   - **मानव संसाधन–**
     - लेवल 3 संस्थाओं में विशेषज्ञों की पूर्ति राज्य स्तर से की जाएगी। जिन संस्थाओं में विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है उन संस्थाओं में विशेषज्ञों को हायर कर सी–सेक्शन की सेवाऐं सुनिश्चित की जाए। इस हेतु शासकीय एवं निजी विशेषज्ञों की सूची तैयार कर संस्था में रखे तथा एनएचएम में प्रावधानित मद से तत्काल भुगतान किया जावें। एफआरयू के अतिरिक्त संस्था में पदस्थ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ तथा ईमॉक/एलएसएएस प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों का संलग्नीकरण निरस्त कर मूल पदस्थापना पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए एवं एचआरएमआईएस में प्रविष्टि सुनिश्चित करें। साथ ही विशेषज्ञों के पद पूर्ति एवं संलग्नीकरण निरस्त करने के प्रस्ताव राज्य स्तर पर प्रेषित किये जाए।
       समय सीमा– 31 अक्टूबर 2020

- लेवल 2 एवं लेवल 1 डिलेवरी पाईंट में कार्यरत एवं रिक्तियों के आधार पर मानव संसाधन का गेप एनालिसिस करें तथा प्रस्ताव राज्य स्तर पर प्रेषित करें। डिलेवरी पाईंट में पदस्थ समस्त स्टाफ का संलग्नीकरण निरस्त कर मूल पदस्थापना पर उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं एचआरएमआईएस में प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
  समय सीमा– 30 सितम्बर 2020

- संस्था में साफ सफाई एवं सिक्युरिटी हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता अस्पताल प्रशासन के दिशा निर्देशों के आधार पर सुनिश्चित की जाए। किसी प्रकार की परेशानी होने पर राज्य स्तर पर सूचित करें।
  समय सीमा– 30 सितम्बर 2020

- **प्रशिक्षण**– संस्था में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं एएनएम को स्किलस् लैब प्रशिक्षण, CAC प्रशिक्षिण, एमटीपी प्रशिक्षण, पीपीआईयूसीडी एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए एवं प्रशिक्षित स्टाफ को लेबर रूम एवं ओटी में ही पदस्थ किया जाए। स्किलस लैब में प्रशिक्षण हेतु नामांकन क्षेत्रीय संचालकों को प्रेषित करें।
  समय सीमा– 31 दिसम्बर 2020

- **उपकरण एवं फर्नीचर**– डिलेवरी पाईंट में उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष एनएचएम के अंतर्गत जिलों के मांग पत्र अनुसार ईएमएमएस में राशि प्रदान की जाती है। जिन जिलों को state-of-the-art delivery हेतु लेबर रूम, मेटर्निटी ओटी, पीपी ओटी, वार्ड तथा एएनसी ओपीडी में उपकरण, सामग्री एवं फर्नीचर की आवश्यकता प्रतीत हो उसका मांग पत्र (**संलग्न प्रपत्र–3**) प्रस्तुत करें।
  समय सीमा– 30 सितम्बर 2020

- **औषधि एवं सामग्री**– डिलेवरी पाईंट में एएनसी, सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु आवश्यक समस्त औषधि की व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत प्रदाय की जाती है। अनुमानित प्रसव संख्या के आधार पर डिलेवरी पाईंट में औषधि की आवश्यकता का आंकलन प्रति 6 माह का सुनिश्चित कर उपार्जन सुनिश्चित करें। साथ ही स्टोर से औषधियों को डिलेवरी पाईंटस तक भी आवश्यक रूप से प्रदाय करना सुनिश्चित करें।
  समय सीमा– सतत

- **जांचें**– लेवल 3 संस्थाओं में समस्त जांचों के साथ ही सोनोग्राफी जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन संस्थाओं में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है उनका मांग पत्र प्रेषित किया जाए। 24X7 आवश्यक लैब जांचें (**संलग्न प्रपत्र–4**) सुनिश्चित की जाए एवं इस हेतु लैब टेक्निशियन की कॉल डयूटी लगाई जाए। एचआरपी क्लीनिक में प्रत्येक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी जांच कराई जाए।
  समय सीमा– सतत

- **रिकार्ड कीपिंग** – डिलेवरी पाईंट में एएनसी, सामान्य सिजेरियन प्रसव हेतु आवश्यक समस्त औषधि की व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत प्रदाय की जाती है। अनुमानित प्रसव संख्या के आधार पर डिलेवरी पाईंट में औषधि की आवश्यकता का आंकलन सुनिश्चित कर उपार्जन सुनिश्चित करें। लेबर रूम एवं एएनसी रजिस्टर के आधार पर शत प्रतिशत डिलेवरी की प्रविष्टि आरसीएच पोर्टल के डिलेवरी मॉडयूल में की जाए।
  समय सीमा– सतत

2. नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन–

- प्रदेश के 20 अधिक घरेलू प्रसव वाले विकासखण्डों में संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने हेतु डिलेवरी पाईंटस की संख्या में वृद्धि की जानी है। इस हेतु अधिक घरेलू प्रसव वाले विकासखंडों की एच.डब्ल्यू.सी. संस्थाऐं चिन्हित की गई है। साथ ही 401 स्वास्थ्य संस्थाऐं जो वर्तमान में एच.डब्ल्यू.सी. के रूप में चिन्हित है परन्तु डिलेवरी पाईंट नहीं है (**संलग्न प्रपत्र–5**) का अवलोकन करें तथा डिलेवरी पाईंट के रूप में चिन्हित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।
  समय सीमा– 30 सितम्बर 2020

- वर्तमान में चिन्हित डिलेवरी पाईंटस जिनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है अथवा जिन्हें क्रियाशील करने में कठिनाई हो रही है उन डिलेवरी पाईंटस को हटाने तथा जिले की जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए नवीन डिलेवरी पाईंटस चिन्हांकन हेतु प्रस्ताव तत्काल रूप से **संलग्न प्रपत्र–6** में प्रेषित करें।
  समय सीमा– 30 सितम्बर 2020

- नवीन चिन्हित डिलेवरी पाईंटस् हेतु संलग्न प्रपत्र अनुसार अधोसंरचना, सिविल कार्य, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री एवं औषधि तथा मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें।
  समय सीमा– 15 अक्टूबर 2020

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो सके सुनिश्चित करें। जिला चिकित्सालय में संचालित आब्स्टेट्रिक आईसीयू में सेवाऐं सुनिश्चित की जाए। लक्ष्य राष्ट्रीय प्रमाणीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जना है, इस हेतु राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के आधार पर समस्त सीएचसी स्तर की संस्थाओं को 2023 तक लक्ष्य अंतर्गत प्रमाणीकृत किया जाएगा।

अतः आपसे अपेक्षित है कि उपरोक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर ऑनलाईन बैठक का आयोजन कर दायित्व निर्धारण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त समस्त गतिविधियों का दायित्व जिला चिकित्सालय हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इंचार्ज स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा एमसीएच कॉओर्डिनेटर एवं उप जिला स्तरीय संस्थाओं हेतु संस्था प्रभारी, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं मेटर्निटी विंग इंचार्ज का दायित्व होगा। उपरोक्त गतिविधियों में भवन/सिविल से संबंधित कार्यों हेतु सिविल इंजीनियर का सहयोग लिया जाए। समस्त संलग्न प्रपत्रों तथा जिले की एकजाई रिपोर्ट प्रेषित करने का दायित्व जिला कार्यक्रम प्रबंधक का होगा।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक, एनएचएम
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10/09/2020

पृ.क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5948

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं प.क. विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक, विज्ञप्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
5. अपर संचालक, नर्सिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एच.आर., संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक, एसबीटीसी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य अभियंता, सिविल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक, मानव संसाधन, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
10. उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. सलाहकार, सिविल, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय आरएमएनसीएचए कॉओर्डिनेटर, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक, एनएचएम
मध्यप्रदेश